



न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म .प्र .ग्वालियर बेंच भोपाल

प्रकरण क्र...../निगरानी/17-18

P13R/निगरानी/भोपाल/१०१०/२०१८/०११४०

सलीम खॉ आ. कल्लू खॉ
निवासी एवं कृषक ग्राम रूसल्ली,
तहसील बैरसीया, भोपाल, (म.प्र.)

.....आवेदक

विरुद्ध

- | | | |
|---------------------------|----------------|--------------|
| 1. छोटी बी बेवा मो. रफीक, | 2. अनवर खॉ, | 3. निसार, |
| 4. असरार, | 5. आशिक, | 6. सरीफ खॉ, |
| 7. शकीला बी, | 8. अकीला बी, | 9. अनीसा बी, |
| 10. हसीनाबी, | 11. चांदनी बी, | |

पुत्र/पुत्री मो. रफीक खॉ

- | | | |
|------------------------------|--------------|-------------|
| 12. शाहजहॉ बी बेवा मो. अजीज, | 13. अनीस, | 14. रईस, |
| 15. हनीफ, | 16. सन्नोबी, | 17. शानू बी |

पुत्र/पुत्री मो. अजीज खॉ

18 मो. शफीक पुत्र कल्लू खॉ जाति फकीर
समस्त निवासीगण - भोपाल, (म.प्र.)

.....अनावेदक

निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50 के तहत

महोदय,

निवेदन है कि आवेदक के स्वामित्व की भूमि स्थित ग्राम रूसल्ली, तहसील बैरसिया खसरा क्र. 439/1 रकबा 0.22 हैक्टेयर का सीमांकन अनावेदक पक्ष द्वारा प्रकरण क्र. 86/अ-12/16-17 में आदेश दिनांक 14/12/17 से बगैर सूचना के अवैध रूप से करवाया गया है। जिससे परिवेदित होकर जानकारी के आधार पर समयावधि में यह अपील प्रस्तुत की जा रही है।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक PBR/मि/गोपाल/22/18/1140 भाग-अ

. खलीम खाँ विरुद्ध श्री केशव

तहसील जिला ग्वालियर

आयुक्त के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक जिलाध्यक्ष के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक

अनुविभागीय पदाधिकारी के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक तहसील का प्रकरण क्रमांक

वाद का विषय

अधिनियम एवं धारा जिसके अन्तर्गत प्रकरण यहां प्रस्तुत हुआ है

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
27-2-18 20	<p>आयुक्त संभाग / जिलाध्यक्ष, जिला</p> <p>के मूल / अपीलीय आदेश दिनांक</p> <p>के विरुद्ध श्री खलीम खाँ</p> <p>के अभिभावक द्वारा अपील/पुनरीक्षण/पुनरावलोकन-पत्र प्रस्तुत किया गया जो पंजीबद्ध किया जा चुका है।</p> <p>पुनरावलोकन अवधि बाह्य है/नहीं है/मुद्रांक शुल्क पूर्ण है/.</p> <p>. रु. की कमी है। आदेश, जिसके विरुद्ध यह अपील/पुनरीक्षण/पुनरावलोकन है, की प्रतिलिपि संलग्न है/ नहीं है। अपील / पुनरीक्षण / पुनरावलोकन की प्रतियां दी गई हैं/ नहीं दी गई हैं। आव्हान शुल्क दे दिया है/ नहीं दिया है।</p> <p>प्रस्तुतकार (आवेदक पक्ष सूचना उपरोक्त अनुपातित) (आवेदक पक्ष को तीसरा पुकारल गवाई गई, परंतु उनकी ओर से कोई उपाति नही हुआ। उपर्युक्त आवेदक पक्ष के सूचना उपरोक्त अनुपातित रहने के कारण अदम पेशी में खारिज किया जाता है।</p>	<p>VF</p> <p>2/2/18</p> <p>27/2/18</p> <p>[पीछे देखिये]</p>